

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-३६६/२०१९

सुरेन्द्र महतो एवं अन्य.....वादीगण
बनाम
सत्यनारायण साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
27.03.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.06.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। <u>आदेश (ORDER)</u> वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०३ नन्दकिशोर तिवारी की मृत्यु दिनांक ०८.०२.२०२२ को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं०-०३ नन्दकिशोर तिवारी के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपना कोई वारिसान छोड़कर नहीं मरे हैं। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं०-०३ नन्दकिशोर तिवारी का नाम कलमजद करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०३ नन्दकिशोर तिवारी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं०-०३ का नाम कलमजद करें। वाद दिनांक ०४.०५.२०२३ को वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	